Series-7

Topic ID:- 6510159
Date- 24/04/2020

VVI

Most Important Topic For

65th BPSC Mains/Written Examination-2020

Topic:

बिहार से मजदूरों का प्रवासन
Migration of labourers from Bihar

From The book
BIHAR NAMAN PAPER- II

प्रस्तवना

प्रवासन का तात्पर्य स्थान परिवर्तन से है। जब एक व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है तो उसे प्रवासन कहते है। उस व्यक्ति का प्रवासन (Migration) स्थायी अथवा अस्थायी हो सकता है। प्रवासन सामाजिक-आर्थिक कारणों की वजह से हो सकता है अथवा उच्च आकांक्षावश भी हो सकता है। यह बहुआयामी घटना है जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास, जनशक्ति नियोजन, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। वर्तमान में निरंतर परिवर्तित होते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के संदर्भ में बिहार की ग्रामीण जनसंख्या गावों से नगरों एवं महानगरों तथा दूसरे राज्यों में प्रवासित हुई है। जिसने न केवल जनसंख्या नियोजकों एवं नीति निधरिकों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है अपितु क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

दिया है।

बिहारी मजदूरों के प्रवासन की प्रवृत्ति (Trend)

बिहारी मजदूर का प्रवासन		**उदाहरण**
बिहार के अति पिछड़े गांवों से आर्थिक संपन्न गांवों में प्रवासन	⇒	मुजफ्फरपुर जिला के अतिपिछड़े तुर्की गांव से आर्थिक संपन्न कांटी गांव (जहां कांटी थर्मल पावर प्लान्ट स्थित है) में प्रवासन
↓		↓
आर्थिक संपन्न गांवों से नगरों में प्रवासन	⇒	कांटी से मुजफ्फरपुर नगर में प्रवासन
↓		↓
नगरों से महानगरों में प्रवासन	⇒	मुजफ्फरपुर से पटना में प्रवासन
↓		↓
महानगरों से दूसरे राज्य/राज्यों में प्रवासन	⇒	समूचे बिहार के मजदूरों का दिल्ली, मुबई, गुजरात आदि आर्थिक संपन्न राज्य/राज्यों में प्रवासन
	⇓	
बिहार के गांवों तथा नगरों से सीधे अंतर्राष्ट्रीय (कतर, दुबई, अरब, नेपाल, भूटान आदि देशों में) प्रवासन		

प्रवासन पर विद्वानों के मत (Thought)

पीटरसन (1958)– व्यक्ति का स्वेच्छा से अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे/ अपरिचित स्थान पर रहना/बसना

ली (1966)– प्रवासन स्थायी अथवा अर्धस्थायी परिवर्तन है। इसमें दूरी से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है तथा यह स्वेच्छा से एवं अनिच्छा से हो सकता है।

कैप्लों (1954)– प्रवासन में निवास स्थान का परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। किन्तु इसमें व्यवसाय परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यद्यपि आमतौर पर यह व्यवसाय परिवर्तन का कारण बनता है।

बीजर (1963)– प्रवासन सामान्य जनसंख्या के पुनर्वितरण के एक आवश्यक तत्व के रूप में तथा साथ ही यह मानव शक्ति के उपयोग की एक व्यवस्था भी है। प्रवासन के फलस्वरूप व्यक्ति नवीन समुदायों से मिलता जुलता है।

जैनसन (1970)– प्रवासन जनांकिकीय समस्या का एक रूप है जो जनसंख्या को उसके मूल स्थान एवं प्रवास के स्थान दोनों को प्रभावित करती है।

By Santosh Kashyap
BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

6510159

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार–

"प्रवासन से आशय उस भौगोलिक अथवा स्थानिक परिवर्तन से है जिसमें निवास स्थान अथवा मूल निवास से प्रस्थान कर व्यक्ति अपने गन्तव्य अथवा दूसरे स्थान पर पहुँचते है। यह प्रवासन अपेक्षाकृत दीर्घकालीन प्रवृति है न कि अल्पकालीन विचरण मात्र, जिसमें निवास स्थान में परिवर्तन नहीं होता है।"

बिहारी मजदूरों का प्रवासन/पलायनः अवलोकन

बिहार के बाहर काम की तलाश में मजदूरों के पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है और यह औपनिवेशिक काल से पहले से होता आ रहा है। मुगल सेना ने पश्चिम बिहार के लडाकू जातियों के लोगों को सैनिकों के रूप में भर्ती किया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी यह परंपरा जारी रही। उन्नीसवीं सदी के समाप्त होते–होते इसमें उस समय तेजी से परिवर्तन आए जब बिहार से मजदूरों की भर्ती निम्नलिखित कार्यो के लिए होने लगी–

- असम के चाय बागानों में काम के लिए
- बंगाल के कारखानों एवं मिलों में काम के लिए
- बिहार और बंगाल में होने वाले निर्माण कार्यो के लिए
- ब्रिटेन के विदेशी उपनिवेशों में कॉफी और अन्य बागानों में काम के लिए

बिहार एक सघन जनसंख्या वाला उर्वर क्षेत्र है और यह विभिन्न तरह के औद्योगिक स्थापना की अनुकूलता के लिए भी जाना जाता है। किन्तु अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट (1793) और अन्य औपनिवेशिक कानूनों के कारण इसकी हालत दयनीय हो गयी। उद्योगों के नष्ट होने और वर्ष–दर–वर्ष अकाल पड़ने के कारण लोगों को रोजी–रोटी की तलाश में घर–बार छोड़ना पड़ा। औपनिवेशिक प्रशासन ने मजदूरों के इस पालयन को अकाल से निपटने की रणनीति के रूप में प्रोत्साहित किया और उत्पादन कार्य और बागानों पर काम करने के लिए मजदूरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे नीतिगत रूप दे दिया। उन्नीसवीं सदी के समाप्त होते–होते बिहार, बंगाल के उद्योगों को जिन्दा रखने वाला एक प्रमुख कर्त्ता बन गया।

विकास का यह असमान मॉडल स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। भारत पाक विभाजन से बदहाल पंजाब की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों के कारण यह राज्य विकास के लिए निवेश का प्रमुख केन्द्र बन गया। हरित क्रांति ने राज्य में विकास की गति को तेज किया जिसकी वजह से उत्तर–पश्चिम भारत में मजदूरों की मांग बढ़ गई। उधर भूमि सुधार को ठीक से लागू नहीं कर पाने और किसी तरह का औद्योगिक निवेश नहीं होने के कारण बिहार अविकसित रह गया। कम विकास, गरीबी का उच्च स्तर और कृषि उत्पादन व्यवस्था का अर्ध–सामंती चरित्र जहां भूमि और ताकत उच्च जाति के लोगों के हाथों में थी, के कारण रोजगार की तलाश में राज्य से लोगों के पलायन को प्रोत्साहन मिला। 1960 के दशक के मध्य से पंजाब और हरियाणा बिहारी मजदूरों के प्रमुख गंतव्य बन गए। आजादी के बाद बिहार से होने वाले मजदूरों के पलायन की शुरूआत की जड़ को हम इस दशक में तलाश सकते हैं।

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर–दिल्ली) पहले औद्योगिक और फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र के केन्द्र के रूप में उभरें। 1990 के दशक के मध्य तक आते–आते ये केन्द्र

BIHAR NAMAN PAPER- II
From The Book
Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

6510159

बिहार से आने वाले मजदूरों के लिए सर्वाधिक आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया।

समकालीन धारणाएं

बिहार देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहां की ग्रामीण आबादी का 33.7 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता है। पिछले दशक में राज्य में आर्थिक विकास की दर तेज हुई पर यह द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। विकास की रोशनी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे राज्य की बहुसंख्यक जनता तक नहीं पहुंच पाई जो कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। रोजगार की तलाश बिहार से पलायन का मुख्य कारण रहा है। एक अनुमान के अनुसार राज्य के बाहर काम कर रहे बिहारी मजदूरों की संख्या 50-60 लाख है। गया, गोपालगंज, मधुबनी ,नालंदा, पूर्णिया ,अररिया और रोहतास जिलों से सबसे अधिक मजदूरों का प्रवासन हुआ है। बिहार में रोजगार के अवसर नहीं होने और देश के अन्य हिस्सों में मजदूरों की मांग बढ़ने को मजदूरों के पलायन का कारण माना जाता है।

मुख्य गंतव्य और कार्य वाले क्षेत्र

बिहार के मजदूर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में जाते है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के सर्वे के अनुसार काम की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले कुल मजदूर में से 79 प्रतिशत गांव से गांव में जाते है। केवल 12 प्रतिशत बिहारी मजदूर ही गांव से शहर में नौकरी की तलाश में जाते है। आईएचडी (Institute for Human Development) के अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में मजदूरों का ज्यादा प्रवासन शहरी क्षेत्रों में हुआ है। जिन सात जिलों (ऊपर वर्णित) में यह सर्वेक्षण हुआ उसमें सर्वेक्षण में शामिल 90 प्रतिशत घरो से लोग शहरी क्षेत्रों में काम की तलाश में गए।

बिहार के किन जिलों से सर्वाधिक प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं?

- आईएचडी के सर्वेक्षण में शामिल सात जिलों में औसतन सर्वाधिक प्रवासी मजदूर भेजने वाला जिला है गोपालगंज (71.8 प्रतिशत) और मधुबनी (71.8 प्रतिशत)।
- आईआईपीए (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) के 17 जिलों के ग्रामपंचायत सर्वेक्षण में अररिया में प्रवासी श्रमिकों वाले परिवारों का प्रतिशत 53.2, पूर्णिया 48.2, शिवहर 47.1 तथा मुंगेर और गया दोनों 44.2 प्रतिशत है।
- बाढ़ग्रस्त कोशी क्षेत्र से भी काफी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में बाहर जाते है। इस क्षेत्र में शामिल जिले है- सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार।

आईएचडी के अनुसार बिहारी, मजदूरों में दिल्ली की लोकप्रियता सर्वाधिक है जहां सर्वेक्षण में शामिल सात जिलों से 34 प्रतिशत मजदूरों के रोजगार की तलाश में यहां आने की बात का पता चलता है। बिहारी मजदूरों के लिए अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों में शामिल है- पंजाब, जहां जालंधर और लुधियाना जैसे जिलो के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत बिहारी मजदूर रहते है। महाराष्ट्र में नौ प्रतिशत बिहारी मजदूर है और विशेषकर ये मुंबई, भिवंडी और पुणे में है। बिहारी मजदूरों के लिए अन्य महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल है- गुजरात और दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में भी बिहारी मजदूर काम की

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
By Santosh Kashyap

6510159

तलाश में जाते है।

बिहार से आने वाले मजदूरों को खासकर कृषि, निर्माण क्षेत्र और उद्योगों में नौकरियाँ मिलती है। मजदूर अब कृषि की तुलना में गैर-कृषि क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे है। लेकिन पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों के मजदूर विशेषकर कृषि क्षेत्र में रोजगार तलाशते है। इनके कार्य का क्षेत्र काफी भिन्न है और यह इस पर निर्भर करता है कि मजदूर किस जिले से आते है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है।

बिहार से होने वाले प्रवासन की प्रकृति (Tendency)

प्रवासी मजदूरों द्वारा अपने घर भेजे जाने वाली राशि को बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है और उसे ''प्रेषण अर्थव्यवस्था (Remittance Economy)'' का दर्जा दिया जाता है। बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में लगभग छः से सात प्रतिशत योगदान राज्य के बाहर नौकरी करने वाले लोगों द्वारा बिहार भेजी गई राशि का है। बिहार से बाहर काम करने के लिए जाने वालों के अनुभव बहुत ही अलग-अलग तरह के है। राज्य के बाहर जाने वाले मजदूरों का अनुभव उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा पर निर्भर करता है जिसमें मुख्य रूप से यह शामिल होता है कि वह किस जिले का है, उसकी जाति क्या है, किस वर्ग का है और उसके पास कितनी जमीन है। आईएचडी के अध्ययन के अनुसार बिहार के सात जिलों में सर्वेक्षण में शामिल 50 फीसदी लोग कम समय के लिए रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाते है जो गंतव्य पर साल में आठ महीने से कम समय तक रहते है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले कुल प्रवासी मजदूरों का 60 प्रतिशत दिहाड़ी मजदूर होते है।

गरीब जिलों से बाहर जाने वाले मजदूर धनी जिलों से जाने वाले मजदूरों की तुलना में अलग तरह के काम करते है। आईएचडी के अध्ययन के अनुसार बिहार के सात जिलों में जहां प्रवासन का अध्ययन किया गया पूर्णिया और अररिया जैसे गरीब जिलों के सर्वाधिक मजदूर कम अवधि वाले दिहाड़ी मजदूरी करते है और ये असुरक्षित कार्यो में लगे होते है। गांव से गांव में काम के लिए जाने वाले कृषि मजदूर सर्वाधिक गरीब जिले पूर्णिया और अररिया से आते है। अपेक्षाकृत संपन्न जिले जैसे नालंदा और रोहतास के मजदूर शिक्षा और पेशेवर सेवाओं में ज्यादा दिखते है।

अनुसूचित जाति, भूमिहीनों और कृषि मजदूरों के समुदाय से होने वाले प्रवासन की गति में तेजी आ रही है। ये लोग कम अवधि के लिए प्रवास पर जाते है और गंतव्य पर दिहाड़ी मजदूरी और अनियमित रोजगार में काम तलाशते है। बिहार के निर्बल समुदाय अधिक से अधिक प्रवासन पर निर्भर होने लगे है और कृषि उत्पादन में निरंतर गिरावट के कारण होने वाली अर्थहानि और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अभाव से निपटने के लिए वे अनैतिक रोजगार में काम तलाशने से भी नहीं चूकते है।

प्रवासन से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ

मुद्दे: मजदूरों के पलायन को ज्यादा से ज्यादा लोग सकारात्मक मानने लगे हैं क्योंकि यह गांव के गरीब लोगों को गरीबी से बाहर आने और जातिगत प्रताड़ना से मुक्त होने का अवसर देता है। यद्यपि प्रवासी समुदाय को स्त्रोत और गंतव्य दोनों स्थानों पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

BIHAR NAMAN PAPER-II
From The Book
Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

6510159

जोकि प्रवास के माध्यम से गरीबी से मुक्त होने के प्रयासों पर असर डालता है।

बिहार का ग्रामीण क्षेत्र चुनौतियों से भरा है- भारी गरीबी है और कृषि उत्पादकता में गिरावट के साथ-साथ औद्योगिक निवेश नहीं होने के कारण यहां आर्थिक ठहराव आ गया है। राज्य में अगर कुछ आर्थिक विकास हुआ भी है तो वह सिर्फ तृतीयक क्षेत्र में दिखता है और वह भी पटना के आसपास ही केन्द्रित है। ग्रामीण बिहार का तीन चौथाई हिस्सा सीमांत किसानों या कृषि मजदूरों के रूप में कृषि क्षेत्र पर निर्भर है जहां उनकी आय काफी कम है। यह कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में अभी भी उत्पादन अर्ध-सामंती है जहां उच्च जाति के दबंग लोगों के पास सारी जमीन है। जाति वर्ग और भूमि-स्वामित्व सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ताकत का निर्धारण करता है। प्रवासी परिवार विशेषकर, राजनीतिक रूप से हाशिए पर होता है क्योंकि अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह राज्य के बाहर अपने घर से दूर होता है और इस तरह उसका परिवार विभिन्न सेवाओं और कई योजनाओं के लिए अपनी पात्रता का दावा कर पाने में असमर्थ होता है।

प्रशासन की कमियों के कारण अधिक ग्रामीण परिवारों की सामाजिक सुरक्षा जैसे पीडीएस, एनआरईजीए और कई तरह के सरकारी पेंशन स्कीम तक पहुंच नहीं बन पाती । बुनियादी सेवाओं और संरचनाओं में निवेश के अभाव के कारण भी ग्रामीण परिवारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही है।

प्रवासन मुख्य रूप से 15 से 40 के बीच के उम्र में होता है। 40 की उम्र के बाद प्रवास से वापस आए लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाती है। जीतोड़ मेहनत, असुरक्षित स्थान पर काम करने और रहने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वे अपने साथ बड़ी बीमारी लेकर या विकलांग बनकर प्रवास से वापस घर आते हैं जिसकी वजह से उनका परिवार एक बार फिर गरीबी के दुश्चक्र में फंस जाता है। ऐसी स्थिति में प्रवास का एक नया दौर शुरू होता है और घर के 14-15 साल के कम उम्र के बच्चों को प्रवास चक्र में धकेल दिया जाता है क्योंकि सवाल परिवार को भूखों मरने से बचाने का होता है।

समाज में पितृसत्ता जिस तरह से हावी है उसके कारण से महिलाओं के लिए पुरूषों की अनुपस्थिति में घर को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। घर की इन महिलाओं पर न केवल घर चलाने का अतिरिक्त भार आ जाता है बल्कि उन्हें कई तरह की सार्वजनिक पात्रता का दावा करने और स्वास्थ्य और बैंक जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाहर से आने वाली राशि जोकि अनियमित और अनिश्चित होती है, के भरोसे परिवार को पालने में घर की महिलाओं को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। परिवार में किसी को तत्काल स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पैदा हो जाने से इसका महिलाओं और बच्चो पर काफी असर पड़ता है और इसके कारण परिवार ऋण के चपेट में आ जाता है।

चुनौतियां:

- प्रवासी मजदूरों को रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ने और गंतव्य तक पहुंचने के बीच की लंबी यात्रा के दौरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्त्रोत और गंतव्य के बीच ट्रेन से यात्रा के दौरान इन बिहारी मजदूरों को पुलिस परेशान करती है, उनके सामान लूट लिए जाते है और

BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
By Santosh Kashyap
Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

6510159

उनका कई तरह से शोषण होता है।

- पूरे भारत में आंतरिक प्रवासन के संदर्भ में रोजगारों के लिए भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही बेकार है। प्रवास पर जाने वाले मजदूरों का प्रबंधन पूरी तरह ठेकेदारों और दलालों के हाथों में होता है। यही लोग उनको उनके स्त्रोत से गंतव्य तक लाते है और उन्हें रोजगार दिलाते है। इस चेन की अंतिम कड़ी पुराने प्रवासी मजदूर होते है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा होते है। गंतव्य पर मौजूद ठेकेदार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आए मजदूरों को इकट्ठा करता है और फिर इनका संपर्क मुख्य नियोक्ताओं से कराता है।
- राज्य से बाहर नौकरी की तलाश में जाने वाले 85 प्रतिशत बिहारी मजदूर 10000 रूपए प्रतिमाह से कम पर काम करते है। फिर कम उम्र में श्रम बाजार में प्रवेश करने और किसी भी तरह का कौशल नहीं होने के कारण से जिंदगी भर एक काम करते रहते है।
- गांवों में संरचनात्मक असमानता के कारण नीची जाति के मजदूरों को नौकर–चाकर और सबसे निचले स्तर का काम करने को मिलता है और कार्यस्थल पर उनके साथ बदसलूकी की आशंकाएं बढ़ जाती है। इन्हें न्यूनतम से कम मजदूरी दी जाती है और अलग से काम करने के पैसे भी नहीं दिए जाते। काम कराकर पैसे नहीं देना और अन्य तरह की धोखाधड़ी भी इनके साथ होती है लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम नहीं मिलने और अपनी शिकायतों के निपटारे की कोई संभावना नहीं दिखाई देने के कारण ये प्रवासी मजदूर मूक बने रहते है।
- निर्माण क्षेत्र और उद्योगों के कार्यस्थल जहां पर दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों को कम काम मिलता है, बहुत ही असुरक्षित जगह होते है और यहां कार्यस्थल पर काफी दुर्घटना होती है और काम से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा होती है।
- प्रवासी मजदूरों को कार्यस्थल पर ईएसआईसी, दुर्घटना मुआवजा और सहयोग, पीएफ या बीओसीडब्ल्यू जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है।
- प्रवासी मजदूरों के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं होने से एक तो अधिकारियों द्वारा उनकों परेशान किए जाने की आशंका बढ़ जाती है और फिर किसी तरह की सेवाओं की उनकी पात्रता सीमित हो जाती है।
- पैसा बचाने और उसे घर पर भेजने की बाध्यता के कारण ये प्रवासी मजदूर गंतव्य पर अपनी रहन–सहन पर बहुत कम खर्च करते है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बहुत ही तंग और अस्वच्छ आवासों में रहते है। दिल्ली में बिहार से गए मजदूर गैर–कानूनी और अनियमित झुग्गी–झोपड़ियों में रहते है और इनमें से बहुलांश तो एक कमरे में रहते है।

प्रवासन कैसे संतुलित किया जाए?

बिहार में सभी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो: बिहार में जिस क्षेत्र से ज्यादा प्रवासन होता है, वहाँ के सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। पीडीएस, एनआरईजीए और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि इसकी पात्रता रखने वाले सभी लोगों के लिए इसकों सुलभ किया जा सके क्योंकि ग्रामीण परिवारों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और उस तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। गरीब परिवार में किसी

BIHAR NAMAN PAPER-II
The Book
Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

6510159

सदस्य की अचानक बीमारी के कारण परिवार को यह वित्तीय संकट में पड़ने से रोक सकता है। आंगनवाड़ी तक सभी गरीब लोगों की पहुंच होने से घर की महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है। लोगों को सार्वजनिक सेवा मुहैया कराने वाली व्यवस्था की क्षमता को दुरूस्त करना जरूरी है ताकि उसमें प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी शामिल किया जा सके क्योंकि इन परिवारों की महिलाओं के बाहर निकलने पर काफी हद तक पाबंदी और घर के बाहर के लोगों से बातचीत करने की मनाही होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को इस बारे में संवेदनशील बनाने और उन्हें विशेष रूप से ऐसे लोगों को लक्ष्य बनाने को कहने की जरूरत है जो दूर–दराज के क्षेत्र में रहते है और उच्च प्रवासन दर वाले समुदाय के है।

कामगार संसाधन केन्द्र की स्थापना: इन केन्द्रों का उद्देश्य प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिवार वालों के लिए उनके स्त्रोत राज्य में सुरक्षित और समर्थकारी वातावरण तैयार करना है। ताकि वे अपनी समस्याओं को सामने रख सकें। इन केन्द्रों को उन क्षेत्रों में खोला जा सकता है जहां से प्रवासन ज्यादा होता है ताकि उनकों प्रवास पर जाने से पूर्व के परामर्श दिए जा सके और वे कार्य के दौरान बेहतर व्यवहार कर सकें। इस केन्द्र का उद्देश्य प्रवासी के परिवारों को उसके लोगों के बारे में सूचना और सहयोग मुहैया कराना भी होगा। बिहार में भारी संख्या में ऐसे परिवार है जिनकी ये शिकायत है कि गंतव्य पर काम कर रहे उनके परिवार के सदस्यों का कोई अता–पता नहीं है। रोजगार की तलाश पर निकलने से पहले इन मजदूरों को दिए जाने वाले परामर्श में निम्न बातों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए: नौकरी शुरू करने से पहले नियोक्ता से जानकारी प्राप्त करना, कामगार कहाँ काम कर कर रहा है, इस बारे में उसके परिवार को लगातार नवीनतम जानकारी देते रहना आदि।

कानूनी मदद और शिक्षा देना: अनौपचारिकता और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को अनुचित श्रम व्यवहार और धोखाधड़ी जैसे मामलों का सामना करना पड़ता है। कम अवधि के कार्यो में जो कामगार अकुशल और दिहाड़ी पर काम करते है उनके साथ धोखा होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है क्योंकि कार्यस्थल पर होने वाले विवाद के बारे में अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं यही उनको पता नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि एक ऐसा वातावरण बने ताकि इस तरह के कामगारों के शिकायतों की सुनवाई हो सके। कानूनी मध्यस्थता के लिए एक साझा मंच बनाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है जहां कामगार और उससे काम लेने वाले ठेकेदार और नियोक्ता दोनों की बात सुनी जा सके और विवाद को आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। इसके साथ–साथ कामगारों को कानूनी साक्षरता देकर उनकों सशक्त बनाया जा सकता है और इस तरह कार्यस्थल पर उनका शोषण कम हो सकता है और उनके साथ धोखाधड़ी कम हो सकती है। ऐसा वर्तमान में राज्यों में स्थित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और श्रम विभाग के लोक अदालतों द्वारा किया जा रहा है। यह जरूरी है कि इन व्यवस्थाओं की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वे अत्यधिक गतिशील और निस्सहाय प्रवासी मजदूरों तक पहुँच सके और एक ही साथ कई स्थलों पर इस तरह के अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाया जा सकें।

संकट में पड़े कामगारों के लिए फोन-आधारित हेल्पलाइन: राष्ट्रीय स्तर पर एक फोन–आधारित हेल्पलाइन जिस पर मुसीबत में फंसे प्रवासी मजदूर कहीं से भी अपनी समस्या बता सकें और उसकों तत्काल परामर्श और मदद दी जा सके, बहुत ही प्रभावी होता है। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना में किसी मजदूर की मौत या बंधुआ मजदूरी पता चलने पर मजदूर इस हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद और

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
By Santosh Kashyap

6510159

परामर्श ले सकते है।

कामगार सहयोग केंद्रः मजदूरों के निरंतर स्थान बदलते रहने के कारण यह जरूरी है कि इन मजदूरों के लिए उनके प्रवासन रूट पर एक ऐसी संस्था हो जिस तक उनकी आसान पहुँच हो। दिल्ली जैसे उनके सबसे लोकप्रिय गंतव्य पर इस तरह के केन्द्र खोले जाएँ तो इससे इन मजदूरों को बहुत लाभ होगा। ये केन्द्र बहुत ही उपयोगी साबित होंगे क्योंकि ये मजदूरों को कई तरह की सेवाएं देने के अलावा स्त्रोत (जैसे- बिहार) पर खोले गए कामगार सहयोग केन्द्र के साथ मिलकर काम करेंगे।

कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस को संवेदनशील बनानाः दिल्ली जैसे गंतव्य राज्य में पुलिस को प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होने के बारे में प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठेकेदारों और अधिकारियों से मतभेद हो जाने के डर से प्रवासी मजदूर अपने अधिकारों के हनन होने के बावजूद चुप ही रहना पसंद करते है। उनकी शिकायतों के निपटारे की कड़ी में पुलिस पहला पड़ाव होता है पर प्रवासी मजदूरों के लिए उन तक पहुंचना उतना ही कठिन भी होता है।

कानूनी मदद के लिए मौजूदा व्यवस्था को सक्रिय बनानाः यह जरूरी है कि वर्तमान कानूनी सहायता व्यवस्था जैसे गंतव्य पर काम करने वाला डीएलएसए (Delhi State Legal Service Authority) अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यस्थल पर होने वाले विवादों के बारे में भी संवेदनशील हो। इस तरह की व्यवस्था को प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी देखनी चाहिए। यह जरूरी है कि स्त्रोत और गंतव्य दोनों ही स्थलों पर कानूनी सहायता व्यवस्था के बीच सहयोग हो ताकि मदद की उम्मीद रखने वाले संकटग्रस्त मजदूरों की मदद की जा सके।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का जुड़ावः यद्यपि पूरे देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति खराब है। किन्तु प्रवासी समुदाय के संदर्भ में तो यह विशेष रूप से लागू होता है। इसका एक कारण यह है कि वे लगातार अपना स्थान बदलते रहते है और दूसरा ऋण लौटाने की उनकी साख कम मानी जाती है। फिर यह वो समुदाय है जो अपने परिवारों की परवरिश के लिए धन भेजता है और इस कारण कर्ज में दबा होता है। राज्य सरकार की वर्तमान योजनाएं निजी क्षेत्र और माइक्रोफाइनेंस संस्थान प्रवासी श्रमिक समुदाय को अपनी सेवाओं से दूर ही रखते है। इन प्रवासी श्रमिकों को इन योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए विशेष तरह की योजना तैयार करने की जरूरत है ताकि स्थानीय मजदूरों जैसी सुविधाएँ इन्हें भी मिल सके।

सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंचः स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं और कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के बावजूद प्रवासी मजदूर बीमार होने पर भी अपनी चिकित्सा नहीं करवाते क्योंकि उनके पास चिकत्सा पर होने वाले भारी खर्च को वहन करने का सामर्थ्य नहीं होता। जिस शहर में वो काम करते हैं उस शहर में और उसकी चिकित्सा सेवा से अनजान होने के कारण भी उन्हें चिकित्सा में मुश्किल होती है। जिन स्थानों पर प्रवासी मजदूर भारी संख्या में आते है उन कुछ प्रमुख स्थानों पर सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से इन श्रमिकों को लाभ हो सकता है।

प्रवासी कामगारों के लिए मर्यादित जीवन की व्यवस्थाः प्रवासी कामगारों की भारी संख्या वाले स्थान पर कम किराए पर रहने की सुविधा और हॉस्टल की व्यवस्था से इनके रहन-सहन में काफी सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते है। मेस सर्विस और सामुदायिक किचेन की व्यवस्था से इन्हें सस्ता और स्वस्थ भोजन भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

From The Book BIHAR NAMAN PAPER-II

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE

6510159

निष्कर्ष

बिहार में इस समय जो सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे है उसके पीछे मजदूरों का प्रवासन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। बिहार के लोगो के लिए आजीविका की यह एक मुख्य रणनीति है। प्रवासी मजदूरों से आनेवाली राशियाँ घर पर पीछे छूटे परिवार के सदस्यों को एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा उपलब्ध कराती है। जरूरत के समय यह राशि उन्हें उनके कठिन समय में गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है। लेकिन बिहार से रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों को शोषणकारी श्रम व्यवस्था से बचाने के बारे में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बहुत सुनियोजित हस्तक्षेप और उनकों मदद देने की जरूरत है। इसके लिए स्त्रोत और गंतव्य के सरकारों और दूसरे साझीदारों जैसे कामगारों और श्रमिकों के संगठनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे प्रवासन गरीब और निस्सहाय लोगों के लिए आजीविका के एक उत्पादक रणनीति के रूप में सामने आएगा।

This article is taken from this book

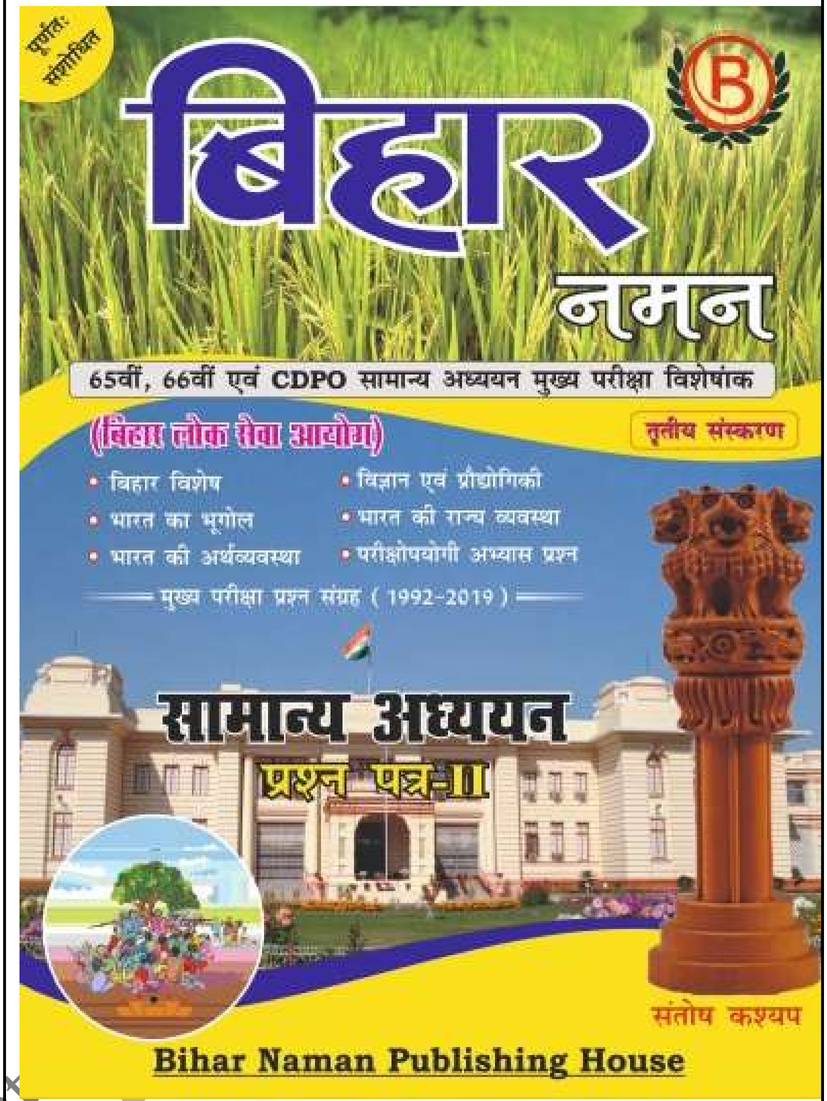

❒❒❒

पूर्व में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1: भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक 10.7% की विकास दर हासिल करने के दावे के बावजूद बिहार से अन्य राज्यों एवं एन.सी.आर. की ओर श्रमिकों के मौसमी पलायन की दर में वृद्धि हुई है। बिहार से श्रम पलायन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस विरोधाभास की व्याख्या कीजिए।

(सी.डी.पी.ओ 2019)

Copyright@ BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
BIHAR NAMAN P

6510159